वर्गन प्रतिवर्ष के कोटे को बढ़ा कर 39000 वैगन प्रतिवर्ष किया जाए जिससे कि औद्योगिक इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें और दिए गए सीलिंग में कोई कटौती न की जाए। विभाग के स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए गए कि राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला वैगन प्राप्त हो सकें किन्तु अभी तक वांछित फल नहीं मिल सका है। और प्रदेश को काफी संकट का सामना औद्योगिक इकाइयों को कोयला समय पर देने में हो रहा है।

मैं सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में तुरन्त योग्य व प्रभावी व्यवस्था करें जिससे प्रदेश में व्याप्त कोयले की कमी का संकट दूर हो सके।

(iii) REPORTED OPENING OF LIQUOR SHOPS IN RESIDENTIAL COLONIES OF DELHI

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने शराब की दुकानें डी एस आई डी सी के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में खोलने का निश्चय किया है। यह निर्णय तो अफसोसनाक है ही, इससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि यह दुकानें मकान बस्तियों के बीचोबीच खोली जा रही हैं। इसका एक उदाहरण है— राजौरी गार्डन जी- 8 क्षेत्र, मायापुरी एम आई जी फ्लैटों में डी डी ए द्वारा बनाए गए सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की नई दुकान खोलना। यह सुविधाजनक केन्द्र बस्ती के बिलकुल बीच में बना हुआ है और इस प्रकार के केन्द्रों को फ्लैटों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली प्रशासन ने शराब को रोजमर्रा की आवश्यकता मान लिया है और वह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्योंकि इस कालोनी में अधिकतर सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं और हाल में दो सौ के करीब फ्लैटों को एस्टेट आफिस ने डी डी ए से खरीदा है और सरकारी कर्मचारियों को एलाट किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डी डी ए ने नियमों का उल्लंघन करके सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की दुकान खोलने के लिए किस आधार पर अनुमति दी है।

मुझे बताया गया है कि इस सिलसिले में कालोनी के प्रतिनिधि मंडल ने आदरणीय प्रधान मंत्री से भी भेंट की है तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री साहनी एवं आबकारी विभाग के कार्यकारी पार्षद श्री राजेश शर्मा और डी डी ए तथा डी एस आई डी सी के संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया है। इस सम्बन्ध में कालोनी की महिलाओं की प्रतिनिधि संस्था "प्रगति महिला मंडल" की ओर से उपराज्यपाल, प्रधान मंत्री जी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और नेताओं को जोरदार विरोधपत्र भेजे गये हैं, जिनमें ऐसी दुकान खुलने पर महिलाओं द्वारा धरने दे कर शराब की बिक्री बन्द करवाने की बात भी कही गई है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि वहां के लोग इस दुकान के खुलने से किस प्रकार चिन्तित हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए तो वहां खरीददारी के लिए जाना भी दूभर हो जाएगा।

अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का कष्ट करें और शराब की दुकानों को रिहायशी बस्तियों में न खोलने का दिल्ली प्रशासन को निर्देश दें।

(iv) STATE OF HEALTH OF SHRI J. B. KRIPALANI

श्री विनायक प्रसाद यादव : (सहरसा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम